हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी,बाड़मेर अपील नं. 83/2016, 32/2020 किस्म 223 आर.टी.एक्ट. बअनवान लाधूखां वगै. बनाम नसीरखां वगै.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

24.03.2021

पीठासीन अधिकारीः– श्री अरविन्द कुमार जाखड़ आर.ए.एस.

उपस्थितः–1. श्री रिणछाराम सियाग, श्री मेघाराम चौधरी अधिवक्ता अपीलांट की ओर से

2.श्री बांकाराम चौधरी अधिवक्ता रेस्पोडेंट की ओर से।

निर्णय

दिनांक 24.03.2021

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./83/2016/बाड़मेर

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./32/2020/बाड़मेर

दोनों अपीलों का निर्णय एक साथ किया जा रहा है तथा निर्णय की प्रति पृथक–पृथक अपील पत्रावली पर रखी गई।

हस्तगत अपीले राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत धारा 223 विरूद्ध आदेश सहायक कलक्टर बायतु द्वारा राजस्व वाद संख्या 48/2011 बअनवान स्व. जानूखां के वारीसान बनाम स्व. मुरीदखां के वारीसान व अन्य में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 14.09.2020 व निर्णय एवं अन्तिम डिक्री दिनांक 10.02. 2020 के विरूद्ध पेश हुई।

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि उतरदातागण संख्या 01 से 05 वादीगण ने शेष पक्षकारान के विरूद्ध खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु एक वाद विचारण न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा जोगूओं की ढाणी पटवार क्षेत्र कुम्पलिया हाल तहसील गिड़ा में स्थित खेत खसरा संख्या 894 रकबा 319.03 बीघा, में अपना खातेदारी हिस्सा 1/4 घोषित किया जावे। अपीलांटगण एवं रेस्पोडेंटगण पुर्व पुरूष स्व. आलमखां के वंशज है। आलमखां के चार पुत्र क्रमशः मेहताबखां, सुराबखां, दीनूखां व मगेखां थे। वक्त भू बंदोबस्त, पक्षकारान का पूर्व पुरूष आलमखां, आलमखां का पुत्र सुराबखां व सुराबखां का पुत्र जानूखां जीवित नहीं थे। वादीगण उतरदाता संख्या 01 से 04 व 05 के पति स्व. जानूखां के पुत्र, सुराबखां के पौत्र तथा पूर्व पुरूष आलमखां के प्रपौत्र है। अपीलाधीन आराजी को भू–बंदोबस्त कर्मचारियों ने महताबखां, मुबेखा, दीनूखां, भगेखां पिसरान आलमखां के नाम दर्ज कर दी। इस मुबेखां

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

की वल्दियत खातेदारी रेकर्ड में आलमखां गलत दर्ज हुई, मुबेखां की वल्दियत जानूखां है। बाद में जो खातेदारी रेकर्ड राजस्व विभाग द्वारा संधारित हुआ, उसमें मुबाखां का नाम लोप हो गया। वादीगण/उतरदाता संख्या 01 से 05 ने अपने वाद में निवेदन किया कि उन्हें इस आराजी में हिस्सा 1/4 का खातेदार घोषित किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण के नाम से जारी सम्मनों पर व्यक्तिगत रूप से तामील नहीं हुई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित नहीं की गई जो काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई। अधिवक्ता उभयपक्ष ने बहस करते हुए प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड करने पर सहमति जाहिर की तथा सहमति स्वरूप न्यायालय की आदेशिका पर हस्ताक्षर किये।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता का धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना-पत्र पर कोई आपति नहीं होने से हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

उभयपक्ष की उपस्थिति एवं आपसी समझाईश के फलस्वरूप लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर पेश अपील को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड करने का निवेदन किया। पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अवलोकन करने पर न्यायालय का निष्कर्ष है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। राजस्थान टिन्नेसी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 20 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा तहसीलदार स्वयं द्वारा मौका मुआवना नहीं किया गया है जबकि तहसीलदार को बंटवारे के मामले में स्वयं मौका देखना चाहिए। अपीलाधीन विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त भी अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई नोटिस या सूचना नहीं दी गई जिससे अपीलांट को अपीलाधीन विभाजन प्रस्ताव पर उजर एतराज प्रस्तुत

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

करने का अवसर नहीं मिला। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील रिमाण्ड करने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बायतु द्वारा राजस्व वाद संख्या 48/2011 बअनवान स्व. जानूखां के वारीसान बनाम स्व. मुरीदखां के वारीसान व अन्य में पारित आदेश दिनांक 14.09.2020 व 10.02.2020 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को समुचित सुनवाई का मौका दिया जाकर साक्ष्य/सबूत लेकर एवं तहसीलदार स्वयं से मौका दिखवाकर नियमानुसार विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर गुणावगुण पर पुनः निर्णय पारित करे।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 24.03.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर